

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबन्ध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री..... देवीलाल..... पिता/पति श्री..... किशाना.....

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार वस्सी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री..... देवीलाल..... पिता/पति.....
किशाना..... निवासी..... मिला..... का/की हूँ/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का..... मानपुरा..... के राजस्व ग्राम..... दुखनपेला..... में खाता संख्या..... 114.....
किता..... 6.15 रकबा..... 1.20 है, भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम..... बलवी..... दर्ज है
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में..... सालवी..... दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम..... बलवी..... के बजाय..... सालवी..... दर्ज करवाने की कृपा
करावे।

दिनांक 20/9 /2025

देवीलाल
हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का..... मानपुरा.....

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री..... देवीलाल..... पिता/पति..... किशाना..... निवासी.....
मिला..... राजस्व ग्राम..... दुखनपेला..... पटवार हल्का..... मानपुरा..... की जमाबन्दी
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में..... सालवी..... दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनो
जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः
संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी
20/9/25

हस्ताक्षर भू.अ.नि. Semalpur
20/09/25

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक:-भू.अ./2025/

दिनांक: 13 / 2025

प्रेषिति,


श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री देवीलाल पिता/पत्नि किरान निवासी अला पटवार हल्का मानपुरा के राजस्व ग्राम सुरजपाल में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 114 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम काली किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम काली का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।


तहसीलदार (भू.अ.)
चित्तौडगढ (राज.)
जिला चित्तौडगढ(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/731

दिनांक:- 19 / 2025

निमित्त,

पटवार हल्का मानपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बावत्।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री देवीलाल पिता/पत्नि किरान राजस्व ग्राम सुरजपाल पटवार हल्का मानपुरा की खाता संख्या 114 में जाति/नाम काली दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंघा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री देवीलाल पिता/पत्नि किरान की जाति/नाम काली एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का मानपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

5.9.413
20/9/25
2025

प्रपत्र पी-26 (सी)
देखिये नियम 153 ए



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- सुरजपोल
पटवार हल्का :- सेमलपुरा
भू-अभि.नि. :- सेमलपुरा
तहसील :- बस्सी
जिला :- चित्तौड़गढ़

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2078-2081 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 114
खाता संख्या पुराना :- 98

काश्तकार का नाम:-

1. देवीलाल पुत्र किशना हिस्सा- पूर्ण जाति- बलाई सा. किला खातेदार.

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
840	0.1200	बीड़	0.1200	0.30		
841	0.2100	नहरी I	0.2100	3.78		
842	0.3100	बीड़	0.3100	0.78		
843	0.3100	नहरी I	0.3100	5.58		
844	0.2000	नहरी I	0.2000	3.60		
845	0.0500	नहरी I	0.0500	0.90		
कुल खसरे - 6	1.2000		1.2000	14.9400		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 20-Sep-2025

NIC